

कृषि अनुसंधान केन्द्र ,उम्मेदगंज, कोटा
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

निविदा प्रपत्र	: फसल गेहू की विभिन्न किस्मों की कम्बाईन हार्वेस्टर द्वारा कटाई करने का कार्य व अन्य कार्य।
निविदा आमंत्रित दिनांक	: 06.03.2018
निविदा फार्म कीमत	: रुपये 200/-
निविदा जमा दिनांक	: 15.03.2018 (1.00 बजे तक)
निविदा खोलने का समय	: 15.03.2018 (2.00 बजे बाद)
कार्य समय	: 07 दिवस
धरोहर राशि	: 2400/- रूपयें
कार्य की अनुमानित लागत	: 1,20,000/- रूपये
कार्य विवरण	: निम्नानुसार

क. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित क्षेत्रफल (है.)	ठेकेदार की दर (रुपये) प्रति हैक्टर में
1	कृषि अनुसंधान केन्द्र उम्मेदगंज ,कोटा पर रबी 2017-18 की फसल गेहू की विभिन्न प्रजातियों की कम्बाईन हार्वेस्टर द्वारा कटाई करने का कार्य एवं कटाई उपरान्त बीज उत्पादन गेहू को खलियान में 60 किलो की बोरी में भरकर तुलाई, सिलाई, टेगिंग एवं लोडिंग करना या गोदाम में स्टैक लगाने का कार्य आदि।	लगभग 40 हैक्टर	


क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक,

मैंने सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं एवं मुझे मान्य हैं। मैं आपके फार्म पर उपरोक्त कार्य करना चाहता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

नाम

पता

मोबाईल नम्बर

शर्तें संलग्न :

लगातार2

निविदा शर्त :-

1. धरोहर राशि 2400/- रूपये जमा करवाने पर ही निविदा मान्य होगी।
2. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को होगा।
3. शर्तों में किसी प्रकार की कमी व बढ़ोतरी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती हैं।
4. कटाई व थ्रेसिंग के समय फसल का एक प्रतिशत से अधिक का नुकसान नहीं होना चाहिए।
5. फार्म प्रभारी व ब्लाक सुपरवाइजर द्वारा बताये गये कार्य एवं क्षेत्रफल को प्रतिदिन पूरा करना होगा।
6. कटाई व थ्रेसिंग के समय धूम्रपान वर्जित रहेगा।
7. कार्यरत व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना व मारपीट की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. फसल की कटाई का कार्य फसल की अवस्थानुसार कराया जायेगा।
9. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
10. कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो ठेकेदार का कार्य ठेका निरस्त किया जा सकता है और उसका हर्जाना वसूला जावेगा।
11. माल को लाने व लेजाने के लिये ट्रैक्टर व ट्राली (मय ड्राइवर व डीजल) फार्म की होगी।
12. निविदादाता के पास कम्बाइन हार्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन के पूर्ण कागजात, बीमा तथा आयकर का पेन (PAN) कार्ड एवं पहचान पत्र होना आवश्यक हैं।
13. सम्पूर्ण कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिन में पूर्ण करना होगा, अन्यथा कुल कार्य की राशि पर 10 प्रतिशत प्रति दिन देरी की दर से हर्जाना (पेनल्टी) लगेगी।
14. गेहू की विभिन्न किस्में होन के कारण प्रत्येक किसम निकालने के पश्चात् मशीन की सफाई अच्छी तरह से करनी होगी।
15. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा फसल कटे हुए खेत से फलियां / पोड बीनना सख्त मना हैं।
16. कार्य अवधि में श्रमिकों द्वारा फार्म सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. निविदा स्वीकृत होने पर लिखित में आदेश प्राप्त के तीन दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
18. प्रथम न्यूनतम दर वाली पार्टी की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय में जमा रहेगी, तथा द्वितीय पार्टी की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने/10 दिन तक कार्यालय में जमा रहेगी।
19. कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई करने के कार्य वाले ठेकेदार को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिसियल सटाम्प पर इकरार नामा भर कर देना होगा।
20. कम्बाइन हार्वेस्टर में कटाई के लिए प्रवेश के बाद जंहा तक कटाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाये फार्म परिसर से बाहर नहीं जायेगी। विशेष परिस्थितियों में लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति के बाद ही मशीन को परिसर से बाहर ले जाया जा सकेगा।
21. कम्बाइन मशीन खराब होने या मौसम खराब होने पर दूसरी मशीन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।
22. सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत SD (प्रतिभूति) राशि कार्य आदेशक प्राप्ति से पूर्व कार्यालय में जमा करनी होगी।
23. धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट में स्वीकार होगी। नकद व चैक स्वीकार नहीं किये जावेंगे। बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा के नाम देय होगा।
24. कार्य का समय प्रातः 08.00 बजे से सांय 07.00 बजे रहेगा।


क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

हस्ताक्षर ठेकेदार